न्यायालय श्रीमान् ~~आयुक्त~~ महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) कैम्प सागर

ता0प्रस्तुत :– 01-03-18

श्रीमति ललताबाई पति गौरीशंकर लक्षकार उम्र 65 वर्ष
सा0–पथरिया वार्ड नं. 12 तह. पथरिया जि0 दमोह म0प्र0
......................पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी

बनाम

1. रजनी पति लखन लक्षकार
2. हेमलता पति वीरेन्द्र लक्षकार
3. राजेश पिता गौरीशकर लक्षकार
4. चंदाबाई पिता गौरीशंकर लक्षकार

सभी सा0–पथरिया वार्ड नं. 12 तह. पथरिया जि0 दमोह म0प्र0
....उत्तरवादी

धारा :– 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् जी,

पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय पथरिया जिला दमोह (म.प्र.) के अपील प्रकरण क्रं. 132 अ 6 वर्ष 15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11/01/2018 से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय पथरिया तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र. के रा.प्र.क्रं. 75अ 6 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दि0 05/07/2016 से दुःखित होकर एक अपील प्र.क्रं. 132अ 6 वर्ष 2015–16 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय पथरिया जिला दमोह के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो अभी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है व दिनांक 01/03/2018 को पेशी नियत है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय के प्रकरण मे पटवारी हल्का द्वारा गलत व विधि विरुद्ध स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ आक्षेपित किया गया है। जिसके फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय के विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अपीलार्थी को पटवारी हल्का का परीक्षण कराये जाने में अवसर प्रदान किया गया व अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का के दिनांक 19/09/17 को न्यायालीन कथन कराये गये। पटवारी हल्का द्वारा अपने न्यायालीन कथनों के यह स्वीकार किया कि ग्राम टीला में अपीलार्थी की भूमि है व ग्राम टीला में ही दिनांक 30/06/2016 को पंचनामा तैयार किया गया था। किन्तु पंचनामा पर ग्राम टीला के व्यक्तियों के हस्ताक्षर पंचनामा पर नहीं है, बल्कि ग्राम लखरौनी एवं राजलवारी के व्यक्तियों के हस्ताक्षर पंचनामा पर है।
3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी की साक्ष्य होने के उपरांत, अपीलार्थी का यह दायित्व था कि वह आक्षेपित पंचनामा जिसमें पटवारी ने साक्ष्य के दौरान यह व्यक्त किया था कि जहाँ अपीलार्थी की भूमि है वहाँ के व्यक्तियों के हस्ताक्षर न होकर अन्य ग्राम के व्यक्तियों के हस्ताक्षर है व ऐसा पंचनामा पूर्णतः संदेहास्पद है व उसके साक्षियों का अधिनस्थ न्यायालय में वह परीक्षण कराये।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/दमोह/भू0रा0/2018/ 2168

श्रीमती ललताबाई विरूद्ध रजनी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के प्रकरण कमांक 132/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–1–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 07/3/19 सदस्य	